HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16882/2025

Polaram S/o Modyaram Gurjar, Aged About 66 Years, R/o Patolya Bas, Tan Tehla, Police Station Tehla, District Alwar. (Presently Confined In Central Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mahendra Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–टहला, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **253/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से **13 किलो 485 ग्राम** अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र व परमिट के बरामद किया जाना बताया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा 50 किलोग्राम से काफी कम है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध इसी प्रकृति का एक अन्य प्रकरण भी पूर्व में दर्ज होना पाया गया है, जिसमें उसके आधिपत्य से वाणिज्यिक मात्रा से कम मादक पदार्थ होना बताया गया था। प्रार्थी–अभियुक्त उस मामले में जमानत पर मुक्त हो चुका है। वर्तमान मामले में भी अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका

है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 4.12.2025 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में दो अभियुक्तगण क्रमशः प्रार्थी–अभियुक्त पोलाराम व अन्य अभियुक्त सूआलाल उर्फ सुआराम के संयुक्त आधिपत्य से कुल 23 किलो 25 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद हुआ है। जिसमें से प्रार्थी–अभियुक्त से बरामदशुदा मादक पदार्थ का वजन 13 किलो 485 ग्राम होना पाया गया है। उसके विरूद्ध इसी प्रकृति का एक अन्य प्रकरण भी पूर्व में दर्ज हो चुका है। गंभीर अपराध है। अतः उसे इस प्रक्रम पर जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वर्तमान मामले में दो अभियुक्तगण क्रमशः प्रार्थी–अभियुक्त पोलाराम व अन्य अभियुक्त सूआलाल उर्फ सुआराम के संयुक्त आधिपत्य से कुल 23 किलो 25 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद होना बताया गया है। जिसमें से प्रार्थी–अभियुक्त से बरामदशुदा मादक पदार्थ का वजन 13 किलो 485 ग्राम होना पाया गया है। उसके विरूद्ध इसी प्रकृति का एक आपराधिक प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–133/2021 पुलिस थाना–टहला, जिला–अलवर के रूप में दर्ज हुआ था, जिसमें उसके आधिपत्य से वाणिज्यिक मात्रा से कम मादक पदार्थ बरामद होना पाया गया था। उस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 10540/2021 में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.7.2021 के माध्यम से प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत की सुविधा देते हुए यह अंकित किया था कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो इस मामले में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बावजूद प्रार्थी–अभियुक्त ने जमानत के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए पुनः अपराध की पुनरावृत्ति की है तथा जमानत की शर्तों का सर्वथा उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /23